न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 8/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रूपालाल पिता चुना गोदपुत्र भागु रेगर, निवासी बाडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

उपस्थित
जाकिर हुसैन – **अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांक 23.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया के बैरून हल्का आबादी मे साबिक कृषि आराजी संख्या 270/1 रकबा 8 बीघा साबिक खाता में प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थीं प्रमाण में पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सम्वत् 2050 से 2053 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। तहसील रायपुर में भू–प्रबंध होने से ग्राम बाडी में भी भू–प्रबंध हुआ जिससे प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 270/1 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 1019 रकबा 1.73 है0 कायम किए गये प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की नकल, नवीन जमाबंदी की नकल, नवीन नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। भू–प्रबंध के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परंतु बिना किसी विधिक आदेश एवं अधिकारिता के नवीन नक्शे में प्रार्थी की आराजी संख्या 1019 को मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत बिलानाम साबिक आराजी संख्या 270 मी. जिसके नवीन नम्बर 1018 की जगह दक्षिण में बढा कर तरमीम कर दिया तथा प्रार्थी की आराजी के पश्चिम में प्रार्थी की भूमि की जगह बिलानाम आराजी संख्या 1018 का रकबा बढा दिया जबकि प्रार्थी मौके पर साबिक नक्शे के अनुसार काबिज होकर काश्त चला आ रहा है। भू–प्रबंध विभाग का उक्त कृत्य विधी विरूद्व है जिससे प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 1019 रकबा 1.73 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम कराया जाना न्यायोचित हो गया है। विपक्षी संख्या एक भूमिधारी होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाए गए हैं। बिनाय प्रार्थनापत्र वक्त सेटलमेंट एवं उक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थी को होने से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मे भी नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाबानुसार बिन्दु संख्या 01 का जवाब राजस्व रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 का जवाब राजस्व रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 03 का जवाब राजस्व रेकार्ड अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 लगायत 09 का जवाब न्यायालय से सम्बन्धित है। गत नक्शे के मुकाबले हाल खसरा नम्बर 1019 में से 0.34 है0 रकबा बिलानाम दर्ज होगा

और बिलानाम आराजी नम्बर 1018 से जो 0.34 है0 रकबा प्रार्थी के खाते मे दर्ज होगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न किया है।

ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया के गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में प्रार्थी की आ0 सं0 1019 रकबा 1.73 है0 मे से 0.34 है0 रकबा बिलानाम दर्ज करने एवं बिलानाम आराजी सख्या 1018 रकबा 1.38 में से 0.34 रकबा राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित में से प्रार्थी के खाते में दर्ज कर साबिक नक्शे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया के गत नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में प्रार्थी की आ0 सं0 1019 रकबा 1.73 है0 मे से 0.34 है0 रकबा बिलानाम दर्ज करने एवं बिलानाम आराजी सख्या 1018 रकबा 1.38 में से 0.34 रकबा राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित में से प्रार्थी के खाते में दर्ज कर साबिक नक्शे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा